

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 61/2020 अपील (GCMS/2020/00065)
पंजीयन दिनांक - 15.01.2020
निर्णय दिनांक - 08.10.2021

1. श्री अर्चिल जैन पिता श्री देवेन्द्र जैन, निवासी आदर्श कॉलोनी, पुला, उदयपुर (राज.)

-अपीलार्थी

बनाम

1. पटवारी, हल्का भुवाणा जरिये पटवारी भुवाणा तहसील बडगावं, जिला उदयपुर।
2. तहसीलदार, बडगावं, तहसील कार्यालय बडगावं मनोहरपुरा, टाईगर हिल, तहसील बडगावं, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहस:-

1. श्री सत्यप्रकाश व्यास - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-22/2017, बउनवानी श्री अर्चिल जैन बनाम पटवारी व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08.10.2021

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-22/2017, बउनवानी श्री अर्चिल जैन बनाम पटवारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 05.01.2020 को दर्ज की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा राजस्व भुवाणा जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या-2983 में 1000 वर्गफीट पर किस्म मगरी (चारागाह) पर अपीलार्थी द्वारा पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा उप तहसीलदार, बडगावं में प्रस्तुत कर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत कार्यवाही का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, बडगावं द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से

अतिक्रमी-अपीलार्थी को वास्तविक रूप से बेदखल किया जाकर भू-राजस्व प्रतिवर्ष पूर्णांक में आंकडे 1/- का 50 गुणा 50/- शास्ति आरोपित किये जाने का निर्णय दिनांक 21.11.2016 को पारित किया।

- उक्त निर्णय दिनांक 21.11.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 23.05.2017 को पारित किया कि-

“पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन के पश्चात न्यायालय का मत है कि विवादित भूमि किस्म चारागाह है। चारागाह भूमि के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी मानी जाकर किसी भी स्थिति में नहीं दिये जा सकते हैं। आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के दिये जा सकते हैं। अपीलार्थी का कथन कि पूर्वाधिकारियों को ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा 1974 में आवासीय पट्टे दिये गये थे। संलग्न पत्रावली में उपलब्ध पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह पट्टे अन्य किसी आबादी भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये होंगे। क्योंकि प्रश्नगत भूमि किस्म चारागाह है। भूमि सदीप से ही किस्म चारागाह रही है। किसी भी सेटलमेंट में इस भूमि को बिलानाम से चरागाह घोषित ही किया गया। चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण हटाने का दायित्व पटवारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदार को ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह कानून सम्मत की गई है। अपीलार्थी का कथन मान्य नहीं है। प्रकरण में ग्राम पंचायत हितबद्ध पक्षकार है जिसे भी सुना जावे। जहां पर भी प्रार्थी व राज्य सरकार के बीच में विवाद हो उसमें तीसरे पक्ष को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाना अवैधानिक है। अपीलार्थी का यह कथन कि विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा उसके पूर्वाधिकारियों को पट्टा दिया गया है। परन्तु यह भूमि ग्राम पंचायत को कभी भी आबादी विस्तार हेतु नहीं दी गई। ना ही कोई आराजी नम्बर ही पट्टे में उल्लेखित है। इसलिये अपीलार्थी का इस भूमि पर अधिकार अथवा कब्जा होने का कोई आधार नहीं बनता है नाही उसके कोई विधिक रूप से अधिकार इस चरागाह भूमि पर प्राप्त होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत सुनकर जवाब के परिक्षण के पश्चात कानून सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें अपीलान्त का विवादित भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया गया है। भूमि की किस्म चारागाह की होने से भूमि का नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बडगांव के प्रकरण संख्या-17/16 नाजायज कब्जा अनवानी पटवारी हल्का भुवाणा बनाम अर्चिल जैन में पारित निर्णय दिनांक 21.11.16 को बहाल रखा जाता है।”

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 20.06.2017 को ससमय पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 04.10.2021 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा भुवाणा की आराजी संख्या-2983 ग्राम पंचायत भुवाणा की होकर हल्का आबादी दर्ज थी, जिस पर ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा विधिक रूप से अपीलार्थी के पूर्व हिताधिकारी के पक्ष में पट्टा नम्बर 36 दिनांक 14.02.1975 को जारी किया गया। तब से अपीलार्थी के पूर्व हिताधिकारी इस आराजी के आंशिक हिस्से पर काबिज थे, जिसको अपीलार्थी ने दिनांक 12.09.2007 को क्रय किया तब से अपील उक्त हिस्से पर काबिज है। अपीलार्थी ने दिनांक 16.11.2016 को प्रत्यर्थागण द्वारा धारा-91 की कार्यवाही के विरुद्ध एक प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की जो पूर्णतः विधिक आधारों पर प्रस्तुत की थी जिस पर प्रत्यर्था-2 द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति को तथ्यहीन और कानून सम्मत नहीं मानते हुए खारिज कर दी तथा साथ ही मूल प्रकरण को ही अपीलार्थी के विरुद्ध निस्तारित कर दिया। जिसकी अपील जिला कलक्टर समक्ष की गई परन्तु अपील में उठाये गये सभी बिन्दुओं को बिना विचार किये केवल रिपोर्ट को आधार बनाम अपील निरस्त कर दी। अपीलीय न्यायालय ने प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना में लिये सम्पूर्ण आपत्तियों की ओर कोई विचार व्यक्त किये बिना केवल ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाये जाने की आपत्ति बाबत अपने निर्णय में अंकन किया। आलौच्य भूमि का स्वामी ग्राम पंचायत में निहित है, ऐसी सम्पत्ति बाबत धारा-91 की कार्यवाही अमल में लाने का प्रत्यर्थागण को कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार को केवल कृषि भूमि के अतिक्रमणों पर ही कार्यवाही करने का अधिकार है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल का न्याय दृष्टात नगर पालिका बड़ी सादड़ी बनाम श्रीबल अवलोकनीय है। ग्राम पंचायत मालिक होने के बावजूद उसके द्वारा कोई आवेदन अतिक्रमण हटाने के बाबत नहीं किया गया। प्रत्यर्था-2 अपीलार्थी को अतिक्रमी भी मानते हैं तो स्वप्नेरणा से की गई कार्यवाही में ग्राम पंचायत का पक्ष भी सुना जाना आवश्यक था, परन्तु यह नहीं किया गया। हाल सेटलमेंट में पुराने भूमि किस्म को नजरअंदाज करके अगर कोई नये इन्द्राज कर दिये गये हो तो अपीलार्थी इससे बाध्य नहीं है क्योंकि पट्टे वाली भूमि को चरनोट दर्ज कर दिया गया ऐसे इन्द्राज सुसंगत नहीं है। सन् 1974 के इन्द्राज ही सुसंगत है जो वर्तमान में भी प्रभावशील रहने चाहिए। वैधानिक कब्जे एवं अतिक्रमण में भारी अन्तर होता है। स्थापित कब्जा पुराना होता है जबकि अतिक्रमण ताजा होता है। अतिक्रमणकारी का अतिक्रमित भूमि पर स्वत्व निहित नहीं होता जबकि स्थापित कब्जाधारी के पास उसकी कब्जेशुदा भूमि पर स्वत्व होता है। अतिक्रमी को धारा-91 से बेदखल किया जाता है जबकि स्थापित कब्जाधारी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-161 सपटित धारा-183 के तहत ही बेदखल किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उसका एवं उसके पूर्व हिताधिकारी का सन् 1974 से ही शान्तिपूर्ण एवं स्थापित कब्जा है जिसे अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता तथा उक्त भूमि भी कृषि भूमि न होकर हल्का आबादी होने से सम्पूर्ण कार्यवाही ही अवैध एवं शून्य है। प्रत्यर्था-1 द्वारा अपीलार्थी के परोक्ष रिपोर्ट तैयार की गई, मौके पर अपीलार्थी को न बुलाया गया और न ही उसके समक्ष रिपोर्ट तैयार की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का निस्तारण किये बिना आदेश पारित कर दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि सदपि से चारागाह रही है इसकी पुष्टि के बाबत पत्रावली में किसी प्रकार की प्रलेखनीय अथवा मौखिक साक्ष्य न होते हुए कयास के आधार पर निर्णय प्रदान

कर दिया। अपीलीय न्यायालय द्वारा यह कथन करना की पट्टे में आराजी नम्बर का उल्लेख नहीं है तो अपीलीय न्यायालय में यह कैसे मान लिया कि उक्त पट्टे इस भूमि के नहीं है। पट्टे के विषय में सही स्थिति ग्राम पंचायत द्वारा की प्रकट की जा सकती है, इसी वजह से प्रस्तुत प्रकरणों में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ एवं अपीलीय न्यायालयों के निर्णय अपास्त फरमाये जावें।

दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजों की सुची मय दस्तावेज पेश किया। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस पेश किया कि उक्त दस्तावेज के रूप में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवानी शिवगंगा मिनरल्स बनाम उप तहसीलदार बड़गांव में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त प्रकरण में हस्तगत आराजी संख्या 2983 में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में उप तहसीलदार, बड़गांव द्वारा आराजी संख्या 2983 पर मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स को अतिक्रमी घोषित करने का आदेश दिनांक 06.03.2017 को पारित किया, उक्त आदेश के विरुद्ध मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.01.2018 से उप तहसीलदार, बड़गांव के आदेश को यथावत रखा। जिसकी अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा की गई जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेशों को निरस्त किया। हस्तगत प्रकरण भी उसी आराजी संख्या 2983 पर कथित अतिक्रमण के सम्बन्धित है और तथ्य समान होने से न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 के दृष्टिगत वर्तमान अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त किया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अपनी बहस में पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों इत्यादि के आधार पर गुणावगुण निर्णय पारित करने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं प्रस्तुत निर्णय दिनांक 12.07.2018 का आद्योपांत अवलोकन किया।

जैसा कि उक्त पैरा में वर्णय किया गया है कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज के रूप में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवानी शिवगंगा मिनरल्स बनाम उप तहसीलदार बड़गांव में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई और कथन किया उक्त प्रकरण में हस्तगत आराजी संख्या 2983 में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में उप तहसीलदार, बड़गांव द्वारा आराजी संख्या 2983 पर मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स को अतिक्रमी घोषित करने का आदेश दिनांक 06.03.2017 को पारित किया, उक्त आदेश के विरुद्ध मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.01.2018 से उप तहसीलदार, बड़गांव के आदेश को यथावत रखा। जिसकी अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा की गई जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेशों को निरस्त किया। हस्तगत प्रकरण भी उसी आराजी संख्या 2983 पर कथित अतिक्रमण के सम्बन्धित है और तथ्य समान होने से न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 के दृष्टिगत वर्तमान अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता के उक्त उजर के परिपेक्ष्य में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवानी शिवगंगा मिनरल्स बनाम उप तहसीलदार बड़गांव में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2018 का अवलोकन एवं परिक्षण किया। उक्त निर्णय में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा विवेचित किया कि-

“→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड दोनों पत्रावलियों के निर्णयों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित निर्णय पर विवेचन करना उचित समझते हैं। उपतहसीलदार बड़गांव द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें यह वर्णित किया गया है कि आराजी नंबर 2983 में अतिक्रमण 5000 वर्गफिट के अतिक्रमण संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा यह लिखा है कि जवाब में जो विवरण दर्शाये गये हैं वह किसी अन्य भूमि के हो सकते हैं। आलोच्य भूमि गैर मुमकिन चारागाह है, जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती, न ही नियमन किया जा सकता है।

आश्चर्य जनक रूप से उप तहसीलदार बड़गांव के यहां अपीलान्ट द्वारा जो जवाब दिया गया है तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया है। पटवारी द्वारा भी जो रिपोर्ट हमारे द्वारा उपर वर्णित उपर प्रस्तुत की गयी है, वह रिपोर्ट भी इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाती कि आराजी नंबर 2983 आबादी की भूमि नहीं हो। स्पष्टया मिलान क्षेत्रफल जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार हाल आराजी नंबर 2983 साबिक आराजी नंबर 2451 मीन एवं 2646 मीन से बने हैं। साबिक आराजी नंबर 2451 व 2646 जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 तथा 2027 से 30 में स्पष्ट रूप से आबादी विकास पंचायत भुवाणा के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2027 से 30 के अनुसार यह आराजी पूर्व में बिलानाम थी, जिसे ग्राम पंचायत को आबादी के रूप में आवंटित किया गया है एवं उक्त आवंटन आदेश के लिए दिनांक 24-02-1972 का जिला कलक्टर का आदेश एवं इसकी पालना में खोला गया नामान्तरकरण तथा जमाबन्दी संवत् 2027 से 30 में इसका दाखला तथा जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 में आराजी नंबर 2451 एवं 2624 स्पष्ट रूप से आबादी विकास पंचायत भुवाणा के नाम दर्ज है। उपरोक्त साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 में साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 शामिल है तथा साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 ग्राम पंचायत भुवाणा को आबादी विकास हेतु आवंटित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा

न तो स्वयं मौके की जांच कर साबिक आराजी नंबरों का वर्तमान नंबरों से मिलान बाबत पुष्टि की गयी है, न ही मिलान क्षेत्रफल के तथ्यों पर गौर किया गया है। पटवारी द्वारा भी किसी प्रकार की सुस्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी गयी है।

उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा उपरोक्त समस्त साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए सिर्फ इस आधार पर कि भूमि चारागाह दर्ज है, को आधार मानकर पूर्व मानसिकता के आधार पर निर्णय पारित किया है। यदि यह भूमि चारागाह की थी अथवा होती तो उक्त भूमि पर चार मंजिला होटल बनते समय पटवारी हल्का द्वारा अथवा राजस्व कर्मचारों द्वारा मौन क्यों रखा गया, यह भी अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है। प्रथम दृष्टया पेश शुदा साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 निसंदेह पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित आराजी नंबर 2451 व 2646 शामिल हैं। तदनुसार उप तहसीलदार बड़गांव के लिए यह वांछनीय था कि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते विधि सम्मत जांच करवाकर वांछनीय होने पर उसकी दुरस्ती करवाते, न कि वर्तमान प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि को उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ भूमि का वर्तमान में चारागाह दर्ज होने के आधार पर, सिर्फ उसे आधार मानकर बिना जांच किये उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ कयासी आधार पर यह भूमि अन्यत्र कहीं हो सकती है लिखकर सरसरी निर्णय पारित किया है। यह भूमि अन्यत्र कहीं है तो यह भी विवेचन का विषय था, जिस पर उप तहसीलदार बड़गांव ने कोई गौर नहीं किया है। तदनुसार उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है तथा साक्ष्यों के विवेचन के बिना पारित निर्णय है।

जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा भी अपने अत्यन्त संक्षिप्त निर्णय में तहसीलदार के निर्णय को ही आधार बनाकर साक्ष्यों का विवेचन किये बिना, सिर्फ यह विवेचन किया है कि यह भूमि चारागाह भूमि है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता एवं खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अपीलान्त द्वारा जो भूमि क्रय की गयी है वह अन्यत्र कहीं हो सकती है। जिला कलक्टर, उदयपुर का उक्त निर्णय बिना किसी विवेचन के पारित निर्णय है तथा आख्यापक एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बड़गांव एवं जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णयों को प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 11-01-2018 एवं उप तहसीलदार बड़गांव का निर्णय दिनांक 06-03-2017 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्त द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों का विश्लेषण कर सुनिश्चित करें कि पंचायत को आवंटित साबिक आराजी नंबर 2451 व 2646 आबादी क्षेत्र की भूमि का पश्चातवर्ती कोई आवंटन निरस्त तो नहीं किया गया है तथा अपीलान्त के द्वारा पेश शुदा राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबिक आवंटित भूमि से ही वर्तमान आराजी नंबर 2983 बने होने की प्रथम दृष्टया मिलान क्षेत्रफल की साक्ष्य उपलब्ध होने से स्वयं एक दल के साथ जांच कर प्रथम दृष्टया इन्द्राज दुरस्ती

का प्रकरण बनने से इन्द्राज दुरस्ती कराने अथवा बाद जांच प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें।”

उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2018 एवं हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित आराजी संख्या 2983 एवं विवाद की विषयवस्तु एक ही है, जिसके सम्बन्ध में उपतहसीलदार बड़गांव द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई और उक्त कार्यवाही के अनुसरण में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही को यथावत रखने का निर्णय लिया। जिला कलक्टर, उदयपुर निर्णय के विरुद्ध दोनों प्रकरणों (हस्तगत प्रकरण एवं मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स) के अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरणों में से मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर (संक्षिप्त में RAA, उदयपुर) द्वारा उक्त निर्णय 12.07.2018 से किया गया और हस्तगत प्रकरण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त हुई। ऐसे में हस्तगत प्रकरण व न्यायालय RAA, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 12.07.2018 की एक ही विषयवस्तु होने से पारित निर्णय के आलोक में इस न्यायालय में लम्बित अपील का गहनता से अध्ययन किया गया और पाया कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 में साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 शामिल है तथा साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 ग्राम पंचायत भुवाणा को आबादी विकास हेतु आवंटित की गयी है। उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा स्वयं मौके की जांच कर साबिक आराजी नंबरों का वर्तमान नंबरों से मिलान बाबत पुष्टि नहीं की गयी है। साथ मिलान क्षेत्रफल के दर्शित तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। निर्णय दिनांक 12.07.2018 से यह प्रकट होता है कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 निसंदेह पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित आराजी नंबर 2451 व 2646 शामिल हैं। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का भी यह मत है कि उप तहसीलदार बड़गांव राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते विधि सम्मत जांच करवाकर वांछनीय होने पर उसकी दुरस्ती करवाते, न कि वर्तमान प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि को उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ भूमि का वर्तमान में चारागाह दर्ज होने के आधार पर, सिर्फ उसे आधार मानकर बिना जांच किये उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ कयासी आधार पर आपत्तियों को अन्य किसी आबादी भूमि से सम्बन्धित हो सकती है, का अंकन कर सरसरी तौर से निर्णय पारित किया है। उप तहसीलदार द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रकरण में विस्तृत जांच अपेक्षित थी, जो उसके द्वारा नहीं की गई। ऐसे में उप तहसीलदार द्वारा पारित तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होकर साक्ष्यों के विवेचन के बिना पारित निर्णय है। इसी निर्णय का अनुसरण करते हुए जिला कलक्टर, उदयपुर प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन किये बिना अपीलार्थी की अपील बिना किसी आधार के खारिज कर दी। सिर्फ यह विवेचित किया है कि यह भूमि चारागाह भूमि है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता, यह पट्टे अन्य किसी आबादी भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये होंगे। जबकि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सपटित 151 जादी मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का निस्तारण

किये बिना आदेश पारित कर दिया जिसका निस्तारण विधि के सुसंगत आज्ञापक प्रावधानों अनुसार आवश्यक है। जिला कलक्टर, उदयपुर का उक्त निर्णय बिना किसी विवेचन के पारित निर्णय है तथा आख्यापक एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 23.05.2017 इसी आराजी संख्या 2983 के सम्बन्ध में न्यायालय RAA, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 12.07.2018 एवं इस न्यायालय की उपरोक्त विवेचन के आलोक में तथ्यात्मक एवं विधिक रूप त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर की अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 23.05.2017 एवं उप तहसीलदार बड़गांव का निर्णय दिनांक 21.11.2016 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा, RAA, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कर सुनिश्चित करें कि पंचायत को आवंटित साबिक आराजी नंबर 2451 व 2646 आबादी क्षेत्र की भूमि का पश्चातवर्ती कोई आवंटन निरस्त तो नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा पेश शुदा राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबिक आवंटित भूमि से ही वर्तमान आराजी नंबर 2983 बने होने की प्रथम दृष्टया मिलान क्षेत्रफल की साक्ष्य उपलब्ध होने से स्वयं एक दल के साथ जांच कर प्रथम दृष्टया इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण बनने से इन्द्राज दुरस्ती कराने अथवा बाद जांच प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर